दिनांक 15.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 23/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 15.07.2025 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री सुनील चन्द्र बाजपेई (एसपीएस–2001) सेवानिवृत्त पुलिस उपमहानिरीक्षक के दिनांकः 08.07.2025 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्वांजलि अर्पित की गयी।

तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा श्री सुनील चन्द्र बाजपेई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया।

श्री सुनील चन्द्र बाजपेयी जी का जन्म 15 अप्रैल, 1955 को जनपद इलाहाबाद में हुआ था।

श्री सुनील चन्द्र बाजपेयी जी वर्ष 1985 में "प्रान्तीय पुलिस सेवा" में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त वह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद पीलीभीत, आगरा, पुलिस उपाधीक्षक सीबीसीआईडी लखनऊ, एसआईबी कोपरेटिव लखनऊ एवं सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1997 में "अपर पुलिस अधीक्षक" के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त उप सेनानायक 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, फिरोजाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, शाहजहाँपुर, अपर पुलिस अधीक्षक(नगर) पश्चिम लखनऊ, अपर पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) लखनऊ, अपर पुलिस अधीक्षक(सुरक्षा) लखनऊ, अपर पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, पीएसी मुख्यालय लखनऊ, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ एवं सेक्टर ऑफिसर सीबीसीआईडी लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2009 में "भारतीय पुलिस सेवा" में प्रोन्नत होने के उपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा, पुलिस अधीक्षक बिजनौर, पुलिस अधीक्षक(सीआई) अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़, 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना मेरठ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2015 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर

प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी सेक्टर आगरा के पद पर नियुक्त रहते हुये दिनांक:30.04.2015 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हुये। श्री सुनील चन्द्र बाजपेयी जी का दिनांकः 08.07.2025 को दुःखद निधन हो गया है। श्री सुनील चन्द्र बाजपेयी अपने पीछे एक पुत्री एवं एक पुत्र व उनका भरापूरा परिवार छोड़ गये हैं।

श्री सुनील चन्द्र बाजपेयी जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। श्री सुनील चन्द्र बाजपेयी जी का लगभग 29 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान इन्हें गणतन्त्र दिवस 2013 के अवसर पर ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'' से सम्मानित किया गया है। श्री सुनील चन्द्र बाजपेयी जी अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

IPS

RAJEEV KRISHNA
AHUJA
PA LECTERN SYSTEM

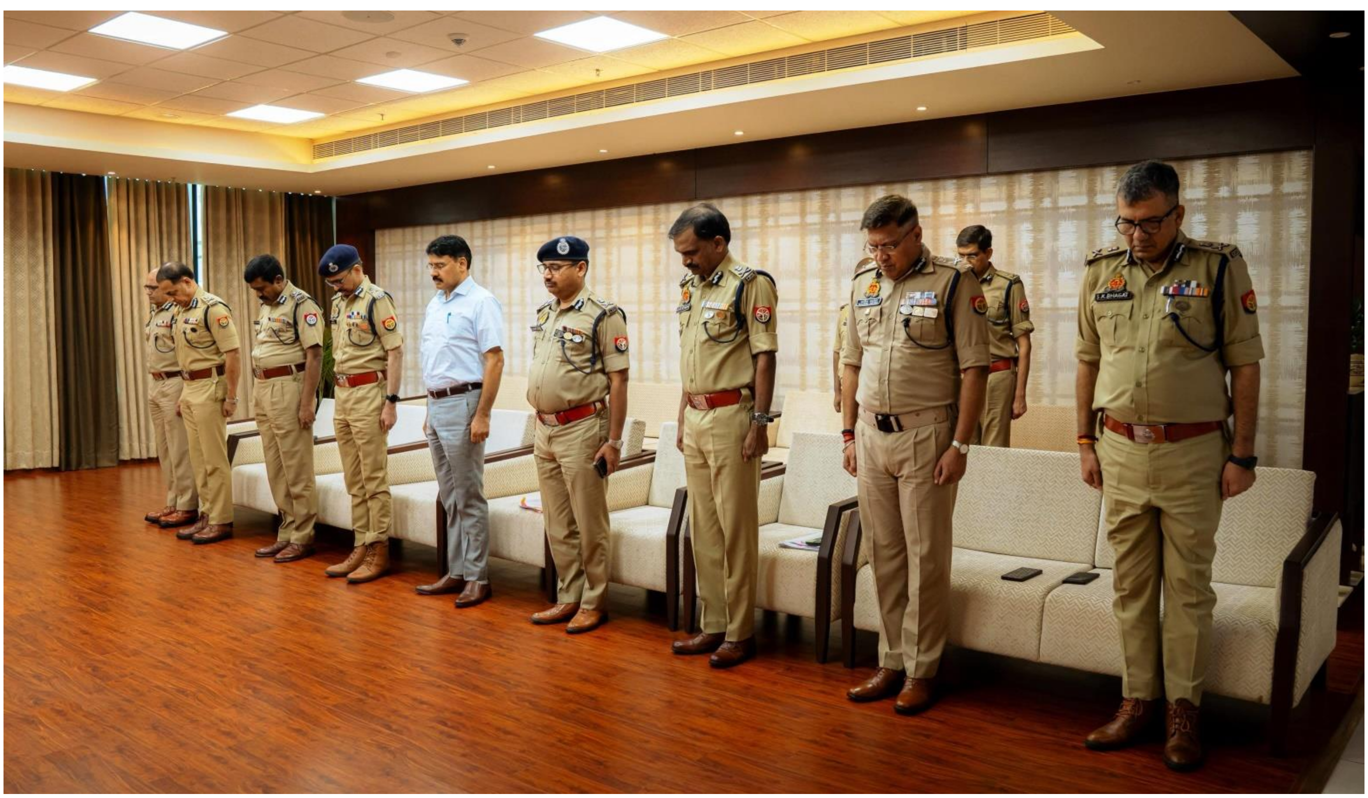

दिनांक 15.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 24/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 15.07.2025 को थाना टूण्डला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहम्मदाबाद छितरई रोड के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दीपक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना टूण्डला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी सचिन विहार कॉलोनी थाना एत्मादपुर कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14/15.07.2025 को थाना गुलावठी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैदपुर फ्लाईओवर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आसिफ घायल हो गया, जिसे अभियुक्त राशिद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ थाना गुलावठी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आसिफ निवासी ग्राम अजराडा थाना मुडाली जनपद मेरठ।

2—राशिद निवासी रफीक नगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर, गजरौला, डिडौली, रजबपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **13 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **63 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 14.07.2025 को थाना हसनपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बावनखेडी अड्डे के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–शादाब 2–सुमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर सूचना के आधार पर थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 3–दीपक 4–वंश उर्फ गोलू 5–नागेन्द्र, थाना रजबपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 6–अंकुश एवं थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 7–गौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 13 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 63 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शादाब निवासी ग्राम माछरा भगवानपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

2–सुमित निवासी ग्राम माछरा भगवानपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

3–दीपक निवासी ग्राम मंझौला थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

4–वंश उर्फ गोलू निवासी ग्राम सरकडा थाना बछरायूं।

5–नागेन्द्र निवासी ग्राम सूदनपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।

6–अंकुश निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।

7–गौरव निवासी ग्राम सूदनपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगी</u>

1–13 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–63 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना रैपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सानू उर्फ देवेन्द्र 2–कन्हैयालाल उर्फ कन्धई 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना इमलिया सुल्तानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना इमलिया सुल्तानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मायाराम 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महोबा/थाना अजनर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना अजनर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि, 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5), 3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मंगल को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद को आजीवन कारावास व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना रजपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना रजपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सत्यपाल 2–ओमपाल को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————